न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक श्री किसनाराम
पुत्र श्री पुसाराम
जाति जाट नि. ललाणाखुर्द

मुकदमा नं. 10 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 23/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम ललाणाखुर्द खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु.गौचर (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 फसल खरीफ में श्री किसनाराम पुत्र श्री पुसाराम जाति जाट निवासी ललाणाखुर्द (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा चाराडालकर, बाड़कर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश किया गया। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम ललाणाखुर्द ख.न. 123 रकबा 0.0200 है. किस्म गै.मु.गौचर पर संवत 2074 फसल खरीफ में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर चाराडालकर, बाड़कर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति है. का 50 गुणा रूपया 1.00 रु. (रूपये एक रूपया) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का चिताई भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला - नागौर (राज.)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)